रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265053
CG-DL-E-29072025-265053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947
No. 456]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली ,1989 ,जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है ,में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल,परिवहन और सड़क सुरक्षा), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

2. इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 62 के उप-नियम (1) में, मद (बी ए) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (1) के पश्चात् विद्यमान परंतुक में "फिटनेस प्रमाण-पत्र" शब्दों के पश्चात् "ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित सभी परिवहन यानों का" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, सारणी में, मद (20) के पश्चात्, निम्नलिखित मद (21) अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
(21)	ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए अधिकतम गति	नही	नही	नही	नही	हां	वाहन को बिना भार के (पूरी तरह चार्ज करके तथा पूर्ण एक्सीलेटर स्थिति में) सीधी या समतल सड़क पर चलाया जाएगा और जब वाहन पूरी गति प्राप्त कर लेगा, तो अधिकतम गति की गणना निश्चित दूरी (जैसे 50 मीटर) तय करने में लगने वाले समय को मापकर की जाएगी। वाहन की अधिकतम गति 25 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।

6. 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात्, उक्त नियमों में, नियम 100 के उप-नियम (1) में, "प्रत्येक मोटर यान" शब्दों के पश्चात्, "ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

7. 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात्, उक्त नियमों में, नियम 101 के उप-नियम (2) में, मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) एआईएस-045, समय-समय पर यथा-संशोधित, क्वाड्रिसाइकिल, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में”

8. 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात्, उक्त नियमों में, नियम 117 के उप-नियम (1) में, “या किसी ई-रिक्शा या ई-कार्ट या किसी वाहन” शब्दों का विलोपन किया जाएगा।

9. 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात्, उक्त नियमों में, नियम 117 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, तीसरे परंतुक में, "तीस किलोमीटर प्रति घंटा" शब्दों के पश्चात् "ई-रिक्शा या ई-कार्ट को छोड़कर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में नियम 125-थ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"125-द ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ। - 1 अप्रैल 2026 को और उसके बाद, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के सभी विनिर्माताओं को, टाइप अनुमोदन प्रक्रिया के भाग के रूप में, गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करने हेतु अपनी विनिर्माण विनिर्माण केंद्रों और प्रक्रिया का लेखापरीक्षा (ऑडिट) कराना होगा। यह ऑडिट ई-रिक्शा और ई-कार्ट के टाइप अनुमोदन प्रक्रिया का संचालन करने वाली परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि वैध आईएटीएफ प्रमाणीकरण या समकक्ष प्रमाणीकरण रखने वाले विनिर्माता के लिए, ऑडिट का कार्यक्षेत्र केवल दस्तावेज़ सत्यापन तक ही सीमित होगा।

(2) 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद निर्मित सभी ई-रिक्शा/ई-कार्ट में लिथियम आयन बैटरी पैक लगाए जाएंगे और इसके लिए निष्पादन की आवश्यकता समय-समय पर यथा-संशोधित एआईएस-156 (भाग 1) और (भाग 2) के अनुसार होगी ।

[फा. सं. आरटी-11036/109/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. 499(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2025.
2. Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (herein after referred as the said rules), in rule 62, in sub-rule (1), in item (ba), for the words “three years”, the words “One year” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 62, after sub-rule (1), in the existing proviso after the words “fitness certificate” the words “of all transport vehicles including e-rickshaws and e-carts” shall be inserted.
5. In the said rules, in rule 62, after sub-rule (1), after the existing proviso, in the table, after item (20), the following item (21) shall be inserted namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
(21)	Maximum speed for E-rickshaw and E-cart	No	No	No	No	Yes	The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (say 50 meters). The maximum speed of the vehicle shall not be more than 25 km/h.

6. On and after 1st April 2026, in the said rules, in rule 100, in sub-rule (1), after the words “every motor vehicle”, the words “including E-Rickshaw and E-cart” shall be inserted.
7. On and after 1st April 2026, in the said rules, in rule 101, in sub-rule (2), item (iii) shall be substituted with the following namely:-

   “(iii) AIS-045, as amended from time to time, in the case of Quadricycles, E-rickshaw

   and E-carts”

8. On and after 1st April 2026, in the said rules, in rule 117, in sub-rule (1), the words “or an E-rickshaw or E-cart or a vehicle” shall be omitted.
9. On and after 1st April 2026, in the said rules, in rule 117, after sub-rule (1), in the third proviso after the words “thirty kilometers per hour” the words “excluding E-rickshaw or E-cart” shall be inserted.
10. In the said rules, after rule 125-Q, the following rule shall be inserted namely:-

"125-R. Specific requirements for E-Rickshaw and E-carts. - On and after 1st April 2026, all manufacturers of E-rickshaw and E-cart, as part of the type approval procedure, shall undergo an audit of their manufacturing facilities and process, to establish quality control. The audit shall be done by the test agency, undertaking the type approval process of E-rickshaw and E-cart.

Provided that for a manufacturer possessing a valid IATF certification or equivalent, the scope of audit shall be limited to document verification only.

(2) All e-rickshaw/e-carts manufactured on or after 1st April, 2027, shall be fitted with lithium ion battery packs and performance requirement of the same shall be as per AIS-156 (Part 1) and (Part 2), as amended from time to time.

[F. No. RT-11036/109/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.29 22:39:55 +05'30'